फर्द अहकाम

प्यारीलाल बनाम किशोरीदेवी वगैरह

नाम न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा

केस संख्या 12/2011 [illegible]

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	19.6.20	उभय पक्ष अनुपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / S.D.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य कोविड 19 के कारण है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 24/7/20 को पेश हो। (रीडर)
	24/7/20	उभय पक्ष अनुपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / ... साहब अन्य प्रशासनिक कार्य [illegible] है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 21/8/20 को पेश हो। (रीडर)
प्यारीलाल अ.नि. [illegible] अ.नि. किशोरी	21.8.20	पत्रावली आज पेश हुई। वादी व प्रतिवादी सं० 1व2 के उपस्थित होकर प्रकरण में राजीनामा पेश किया कि विवादित खातेदारी आराजी ख०नं० 751 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा व 750 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा भूमि वाके ग्राम [illegible] में स्थित थी जिसमें खातेदारी ख०नं० 751 का सम्पूर्ण रकबा सन् 1975 में सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहण / अवाप्ति की जा चुकी है तथा खातेदारी ख०नं० 750 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा में से सन् 1975 में 16 सोलह बिस्वा भूमि सड़क के लिए अधिग्रहण / अवाप्ति की जा चुकी है जिसका नामान्तरण सं० 141 दिनांक 22/9/77 से गैर मुमकिन सड़क के रूप में खोला जा चुका था तथा ख०नं० 750 का रकबा अधिग्रहण के बाद केवल 13 बिस्वा ही बचा था जिसका हाल माप प्रणाली से रकबा 0.16 हे० बनता है लेकिन राजस्व रिकार्ड में इसका नया ख०नं० 804 कायम कर उसका रकबा 0.51 हे० तरमीम से अंकित कर दिया गया जबकि हाल ख०नं० 804 का रकबा 0.16 हे० ही होना चाहिए था। इस प्रकार शेष भूमि 13 बिस्वा

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

फर्द अहकाम

प्यारेलाल **बनाम** बिदामी वगैरह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा

विशेष विव[रण] संख्या 12/2011 दावा

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	21.8.20	ही रही थी जो की सन् 1992 में रोड के लिए अधिग्रहित कर NHAI के नाम नामान्तकरण खोला जा चुका है लेकिन राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं० 1 बिदामी देवी व हेमा देवी पुत्री रूपलाल के नाम ख०नं० 804 रकबा 0.23हे० दर्ज किया गया है जो कि गलत है। प्रतिवादी सं० 1व2 ने जाहिर किया कि अनपढ़ होने से कानूनी जानकारी नहीं होने से राजस्व रिकार्ड की सही जानकारी नहीं रही अब ख०नं० 736 के पड़ोसी खातेदार ने सही स्थिति की जानकारी से अवगत कराया है तथा अब राजीनामा कर जाहिर किया कि प्रतिवादी सं० 1 व 2 की भूमि ख०नं० 804 सम्पूर्ण सड़क में चली गई है तथा न ही ख०नं० 804 पर कब्जा होना जाहिर किया है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट भी पत्रावली में मौजूद है जिसके मुताबिक भूमि प्रतिवादी सं० 1व2 की नहीं है। वादी व प्रतिवादीगण ने दोनो पक्षकारान ने ख०नं० 804 की वर्तमान रिकार्ड अनुसार रकबा 0.1797हे० भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम दर्ज करने पर सहमति कब्जे की बाबत उसी अनुसार राजीनामा पेश करना जाहिर किया। इनके पक्षकारान का तसदीक किया गया व राजीनामा पर हस्ताक्षर किया उभय पक्ष मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री चाहते है तथा मौका कमिश्नर रिपोर्ट जो तहसीलदार शाहपुरा के पत्र क्रमांक भू.अ./2010292 दिनांक 25.2.20 के द्वारा प्राप्त हुई है से भी ख०नं० 804 की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग में अधिग्रहित होना बताया है, तथा मौके पर प्रतिवादी सं० 1व2 का कब्जा भी नहीं होना स्वयं प्रतिवादी सं० 1व2 ने राजीनामा में जाहिर किया है। इससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि आराजी ख०नं० 804 के साबिक ख०नं० 741 व 740 थे की भूमि NHAI के द्वारा अधिग्रहित की जा	

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

फर्द अहकाम

प्यारेलाल बनाम छितरी देवी

नाम न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा

केस संख्या 12/2011 दावा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	21.8.20	चूंकि है तथा ख.नं 750 की भूमि में से 16 बिस्वा भूमि अधिग्रहित के बाद 13 बिस्वा भूमि शेष रही थी लेकिन सहमत से उसका हाथ ख.नं 804 में रकबा 0.51 है० कर दिया गया, जबकि 13 बिस्वा भूमि हे०का भी NHAI द्वारा अधिग्रहित किये जाने से प्रतिवादी सं० 1 व 2 का ख.नं 804 में कोई भूमि नहीं रही है। इस प्रकार राजीनामा में जाहिर किया है तथा वादी के द्वारा भी ख.नं 804 की भूमि NHAI के नाम करने की सहमति दी है। अत: दावा मुताबिक राजीनामा के अनुसार डिक्री किया जाता है कि आराजी ख.नं. 804 रकबा 0.1797 हे० वाके ग्राम जाजेरपुरा तहसील शाहपुरा से प्रतिवादी सं० 1 छितरी पत्नि स्व. दुवालाल व प्रतिवादी सं० 2 ईसादेवी पुत्री दुवालाल जाति बलाई सा. देह का नाम हटाकर राष्ट्रीय राजमार्ग (NHAI) को खातेदार घोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा। व अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर रहे। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर	

उपखण्ड अधिकारी कार्यालय शाहपुरा

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

दावा संख्या :–12/2011

उनवान

ग्यारसीलाल पुत्र छीतरमल जाट नि0 जाजै खुर्द बिशनपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. बिदामी बेवा सुवालाल } जाति बलाई नि0 जाजै खुर्द बिशनपुरा
2. हंसा देवी पुत्री सुवालाल } तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा, जिला जयपुर।
4. भूमि अवाप्ति अधिकारी अति. जिला कलेक्टर राष्ट्रीय राजमार्ग गुडगांवा जयपुर 6 लेन कोटपुतली
5. परियोजना निर्देशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 156 गिरनार कोलोनी गांधी पथ वैशाली नगर जयपुर।
6. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली एन.एच. 8 जरिये प्रबन्ध निदेशक।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इस्तहारक खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 21.08.2020

अतः दावा मुताबिक राजीनामा के अनुसार डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 804 रकबा .1797 है0 वाकै ग्राम जाजै खुर्द तहसील शाहपुरा जिला जयपुर से प्रतिवादी सं. 1 बिदामी पत्नी स्व. सुवालाल व प्रतिवादी सं. 2 हंसादेवी पुत्री सुवालाल जाति बलाई सा.देह का नाम हजब कर राष्ट्रीय राजमार्ग (NHAI) को खातेदार घोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें।

निर्णय आज तारीख 21.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(नरेन्द्र कुमार [illegible]) अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

द के खर्चे

दी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
वाद पत्र के लिए स्टाम्प शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प प्रदर्शों के लिए स्टाम्प .... रूपये पर प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	